

ସମ୍ପର୍କ ଆଧିକାରୀ
ସଂଜ୍ଞା

—ପ୍ରତିବାଦୀମାନ

1. ଜାର୍ଜମ ପୁଅ ଉକାରାମ ଜାତି ଗାଟ ନିବାସୀ ମୂରଜାକିଆ ଚଢ଼ଶିଳ ସଂଜ୍ଞାନାଥ ଜିଲା ଚୂକ ରାଜସ୍ଥାନ
2. ବନବାଟିଲାଲ ପୁଅ ଉକାରାମ ଜାତି ଗାଟ ନିବାସୀ ମୂରଜାକିଆ ଚଢ଼ଶିଳ ସଂଜ୍ଞାନାଥ ଜିଲା ଚୂକ ରାଜସ୍ଥାନ
3. ରାମେଶ୍ୱରଲାଲ ପୁଅ ଉକାରାମ ଜାତି ଗାଟ ନିବାସୀ ମୂରଜାକିଆ ଚଢ଼ଶିଳ ସଂଜ୍ଞାନାଥ ଜିଲା ଚୂକ ରାଜସ୍ଥାନ
4. କାହନଲାଲ ପୁଅ ଉକାରାମ ଜାତି ଗାଟ ନିବାସୀ ମୂରଜାକିଆ ଚଢ଼ଶିଳ ସଂଜ୍ଞାନାଥ ଜିଲା ଚୂକ ରାଜସ୍ଥାନ
5. ବାଘା ପ୍ରହରକ ବଜ୍ରୀତା ରାଜସ୍ଥାନ ମାମିଳା ବୁକ ବାଘା ସଂଜ୍ଞାନାଥ ଚୂକ ରାଜସ୍ଥାନ
6. ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଗାରିଧି ଚଢ଼ଶିଳଦ୍ୱାରା ସଂଜ୍ଞାନାଥ

ବନାମ

—ବାଦୀମାନ

1. ଅର୍ଜ ପୁଅ ଜାଧାରାମ ଜାତି ଗାଟ ନିବାସୀ ମାମ ମୂରଜାକିଆ ଚଢ଼ଶିଳ ସଂଜ୍ଞାନାଥ ଜିଲା ଚୂକ
2. ଶ୍ରୀଧାରାମ ପୁଅ ଜାଧାରାମ ଜାତି ଗାଟ ନିବାସୀ ମାମ ମୂରଜାକିଆ ଚଢ଼ଶିଳ ସଂଜ୍ଞାନାଥ ଜିଲା ଚୂକ
3. ନାଥୀ ପୁଅ ଜାଧାରାମ ଜାତି ଗାଟ ନିବାସୀ ମାମ ମୂରଜାକିଆ ଚଢ଼ଶିଳ ସଂଜ୍ଞାନାଥ ଜିଲା ଚୂକ
4. ପନାସୀ ପନୀ ଜାଧାରାମ ଜାତି ଗାଟ ନିବାସୀ ମାମ ମୂରଜାକିଆ ଚଢ଼ଶିଳ ସଂଜ୍ଞାନାଥ ଜିଲା ଚୂକ
5. ଧର୍ମୀ ପୁଅ ଜାଧାରାମ ଜାତି ଗାଟ ନିବାସୀ ମାମ ମୂରଜାକିଆ ଚଢ଼ଶିଳ ସଂଜ୍ଞାନାଥ ଜିଲା ଚୂକ
6. ରାମେଶ୍ୱରଲାଲ ଚଳକ ପୁଅ ମାମା ପନୀ ଚଢ଼ଶିଳ ସଂଜ୍ଞାନାଥ ଜିଲା ଚୂକ


ଅନୁବାନ - ଅର୍ଜ ଆଠି ବନାମ ଜାଧାରାମ ଆଠି

ରାଜସ୍ୱ ବାଦ ନଂ- 07/2019

ଫାଟାକ୍ସିନ ଆଧିକାରୀ- ରତନ କୁମାର ଆ.ପ.ପ.ସ

ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରଘର ଆଧିକାରୀ, ସଂଜ୍ଞାନାଥ

संयोजित
 उप-सचिव
 31-07-19



वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने वर्ष 1979 में विमानन करवाया जिसके अन्सार हीराराम के हिस्से में ख. नं. 497/249 तादादी 22.11 बीघा उत्तरी और व ख. नं. 499/291 तादादी 09 बीघा 7 बिश्वा पूर्वी और 31 बीघा 18 बिश्वा वादीगण के तथा प्रतिवादीगण के हिस्से में ख. नं. 498/249 तादादी 1 बीघा दक्षिणी और व ख. नं. 500/291 तादादी 9 बीघा 8 बिश्वा पहिचमी और की व ख. नं. 255 तादादी 21 बीघा 10 बिश्वा सम्पूर्ण ख. नं. 254 तादादी 1 बिश्वा कुल 31 बीघा 19 बिश्वा हिस्सा में रखी गई। जिसके अन्सार कब्जा काबल में चली आ रही है वादी संख्या 6 व प्रतिवादी संख्या 3 एक ही व्यक्ति है इसलिए कार्जनी आपली को ध्यान रखते हुए उसे प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया गया है। उक्त विमानन का राजस्व अक्स में तरमीम करते समय गाली से ख. नं. 498/249 तादादी 1 बीघा कटणी रास्ता के उत्तरी और की रास्ते के सहारे-सहारे पूर्व पहिचम अक्स में तरमीम कर अंकन करना था जो तरमीम नहीं करके व ख. नं. 497/249 तादादी 22.11 बीघा अक्स में उत्तरी पहिचम कूट में 7 बीघा तरमीम कर दिया जिसके कारण ख. नं. 497/249 के 6 बीघा भी कम है। ख. नं. 255 का रकबा

है। रकबा जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दिया जा गलत है जिसे संशोधित कराने के अधिकारी दर्ज कर दिया जा मौके पर कब्जा के अन्सार सही दर्ज नहीं है। ख. नं. 255 व 249 का रकबा 15 बीघा 10 बिश्वा दर्ज कर दिया है व ख. नं. 249 का रकबा 29 बीघा 10 बिश्वा बीघा 11 बिश्वा राजस्व अक्स के मुताबिक है जबकी राजस्व रिकार्ड में ख. नं. 255 का नं. 255 का रकबा मौके पर 21 बीघा 10 बिश्वा एवं ख. नं. 249 का रकबा मौके पर 23 रिकार्ड में भौतिक कब्जा के अन्सार दर्ज नहीं किया जबकी राजस्व अक्स के मुताबिक ख. नं. 249 रकबा राजस्व लापरवाही से ख. नं. 255 तादादी 15 बीघा 10 बिश्वा व ख. नं. 249 रकबा राजस्व पूर्वज उकारराम का 1/2 हिस्सा नियत था। सेटलमेंट के दौरान कर्मचारियों ने बीघा में वादागण के पूर्वज हीराराम का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बीघा 10 बिश्वा व ख. नं. 291 तादादी 18 बीघा 15 बिश्वा व ख. नं. 254 तादादी 0.01 रास्ते में चली गई शेष ख. नं. 249 तादादी 29 बीघा 11 बिश्वा व ख. नं. 255 तादादी 15 कुल कोला 4 तादादी 45 बीघा 11 बिश्वा बने। जिसमें ख. नं. 250 तादादी 9 बिश्वा मी. मी. तादादी 29.11 बीघा व ख. नं. 255 तादादी 15.10 बीघा व ख. नं. 254 तादादी 0.01 बीघा 154 तादादी 45.11 बीघा जिसके हाल ख. नं. 250 तादादी 0.09 बीघा व ख. नं. 249 मुहंजिकिया तहसील सृजानगढ के संयुक्त खातेवादी कब्जा काबल का पुराना खसरा नं. संख्या 1 से 4 के पूर्वज हीराराम व उकारराम पि. आसाराम जाति जाट निवासी ग्राम वादीगण की ओर से दावा इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण व प्रतिवादी

दिनांक- 31.07.2019

निर्णय

1. श्री बजरंग सिंह एडवोकेट वादीगण
2. श्री खंभार सिंह एडवोकेट प्रतिवादीगण
3. प्रोकार राज

उपस्थित:-

दाव धौणालक एवम् राजस्व रिकार्ड में संशोधन।



सुजाना सह
उपखण्ड अधिकारी
(सुजाना सह)
उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खले न्यायालय में सुनाया गया।

वस्तुविक रूप से मौके पर 21 बीघा 10 बिघा या बिना नाप-जोख किसे 15 बीघा 11 बिघा दर्ज कर दिया जा वास्तविक कब्जा के अनुसार दर्ज नहीं किया गया है। राजस्व अक्स में रिकार्ड में जो तरसीम कि गई है वो वादी के मुकाबले गलत व झूठ है। जिसको संशोधित कर खसरा नं. 255 का रकबा 21 बीघा 10 बिघा दर्ज किया जावे एवं खसरा नं. 249 का रकबा 22 बीघा 11 बिघा दर्ज किया जावे एवं खसरा नं. 498/249 का वर्तमान में जो रकबा 7 बीघा यानि 1.7703 हैक्टयर है उसकी जगह उसके 1 बीघा यानि 0.2529 हैक्टयर दर्ज किया जावे एवं वर्तमान में राजस्व एक्स में जहां खसरा नं. 498/249 है उसको हटाकर खसरा नं. 497/249 के दक्षिण तरफ कटाणी मार्ग के उत्तरी और पूर्व से पहिचम एक्स में अंकित किया जावे। पचास हिक्की अलग से जारी हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ एक्स में अंकित किया जावे। पचास हिक्की अलग से जारी हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ गहसीलदार सुजाना सह को भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

वस्तुविक रूप से मौके पर 21 बीघा 10 बिघा या बिना नाप-जोख किसे 15 बीघा 11 बिघा दर्ज कर दिया जा वास्तविक कब्जा के अनुसार दर्ज नहीं किया गया है। राजस्व अक्स में रिकार्ड में जो तरसीम कि गई है वो वादी के मुकाबले गलत व झूठ है। जिसको संशोधित कर खसरा नं. 255 का रकबा 21 बीघा 10 बिघा दर्ज किया जावे एवं खसरा नं. 249 का रकबा 22 बीघा 11 बिघा दर्ज किया जावे एवं खसरा नं. 498/249 का वर्तमान में जो रकबा 7 बीघा यानि 1.7703 हैक्टयर है उसकी जगह उसके 1 बीघा यानि 0.2529 हैक्टयर दर्ज किया जावे एवं वर्तमान में राजस्व एक्स में जहां खसरा नं. 498/249 है उसको हटाकर खसरा नं. 497/249 के दक्षिण तरफ कटाणी मार्ग के उत्तरी और पूर्व से पहिचम एक्स में अंकित किया जावे। पचास हिक्की अलग से जारी हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ गहसीलदार सुजाना सह को भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

बहस दोनों पक्षों की सुनी गई वकील वादी एवं प्रतिवादीगण का कथन था कि वादगत भूमि उनके पूर्वजों की है जो रिकार्ड व अक्स में गलत अंकन हो गया है। जिसके संबंध में पक्षकारों के बीच राजीनामा हो चुका है। राजीनामों के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करते हुए अक्स में संशोधन करावे। वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मुसलिकिया की जमाबन्दी संवत् 2073-76 के खाला संख्या नया 208 खाला संख्या पुराना 193 जिसको संशोधित कर खसरा नं. 255 का रकबा 21 बीघा 10 बिघा दर्ज किया जावे एवं खसरा नं. 249 का रकबा 22 बीघा 11 बिघा दर्ज किया जावे एवं खसरा नं. 498/249 का वर्तमान में जो रकबा 7 बीघा यानि 1.7703 हैक्टयर है उसकी जगह उसके 1 बीघा यानि 0.2529 हैक्टयर दर्ज किया जावे एवं वर्तमान में राजस्व एक्स में जहां खसरा नं. 498/249 है उसको हटाकर खसरा नं. 497/249 के दक्षिण तरफ कटाणी मार्ग के उत्तरी और पूर्व से पहिचम एक्स में अंकित किया जावे। पचास हिक्की अलग से जारी हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ गहसीलदार सुजाना सह को भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल, अक्स, नामांतरण संख्या 44 जवाब दावा पेश हुआ जिसमें कोई आपत्ती नहीं की गई।

इस पर दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये संमन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण दिनांक 15.03.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जा बाद तस्दीक शामिल किया गया। राजस्थान सरकार प्रतिवादी सं. 06 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जिसमें कोई आपत्ती नहीं की गई।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल, अक्स, नामांतरण संख्या 44 जवाब दावा पेश हुआ जिसमें कोई आपत्ती नहीं की गई।